बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जिनकी तलबी रजिस्टर्ड जारी होकर। पत्रावली दिनांक 3.5.18 को पेश हो। साविक आदेश अ.तिथी तक प्रभावी रहेगा। 27.4.18
	27.4.18	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल राजपुरा पातलवास में पेश हो। दिनांक 24.05.18 को पेश हो।
	24.05.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार कैम्प राजपुरा पातलवास मे पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास ने की है प्रार्थी का मूलवाद खारिज हो गया है। ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाया जाना उचित नही समझते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.17 को जारी स्थगन आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर तै खत्म हो। आज दिनांक 24.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट राजपुरा पातलवास मे सरेआम मे सुनाया गया। 24.5.18

बि. लाडीदेवी
R.A.T

आशा देवी
सरपंच
ग्रा.पं.राजपुरा—पातलवास
पंचायत समिति—बस्सी (जयपुर)